

सम्पतराज टी शाह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर)

नं० व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

सू.अ.अ. अपील संख्या 206/2020

23.11.20

अपीलार्थी सम्पतराज टी शाह, पता दिग्विजय नगर, खेमा काक कुआ, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 08.09.2020 में उसके द्वारा (1) भरण पोषण प्रकरण सं० 83/2019 से संबंधित हमारा प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी महोदय के कार्यालय में प्राप्त होने की तारीख मय प्राप्ति साक्ष्य व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को स्थानान्तरित कर दिया गया, परन्तु उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

